खण्ड-411, अंक-10
शनिवार, 3 वैशाख, शक संवत् 1916
(23 अप्रैल, 1994 ई0)

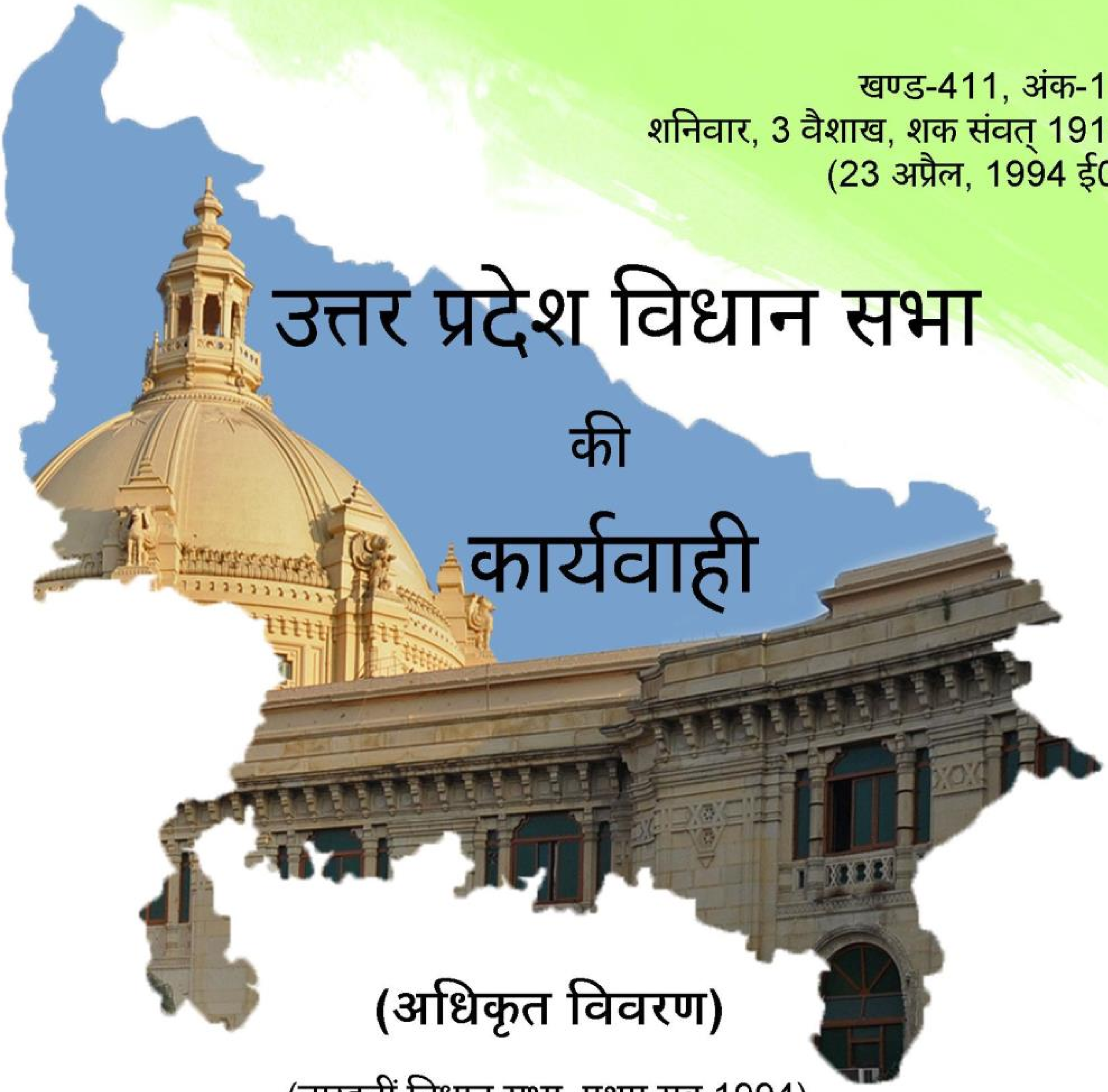

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(बारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1994)

खण्ड 411 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1994

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क–ख
मा0 अध्यक्ष के विरुद्ध दिये गये अविश्वास के प्रस्ताव को उठाने का प्रयास	1
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	1
जनपद अल्मोड़ा की ईड़ा बारखाम जामिनीबार जामिनीपार, बजीना इ ग्यारा पेयजल योजना में निर्माण कार्य ठप्प होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	2
जनपद मुजफ्फरनगर में जिला परिषद् द्वारा स्वीकृत अपूर्ण मार्गों को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	2
जनपद बदायूं के विकास खण्ड आसफपुर की ग्राम सभा मानपुर तथा विकास खण्ड– उसावा की ग्राम सभा झुण्डी में विद्युतीकरण कराने के सम्बन्ध मे नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	3
फर्रुखाबाद–फतेहगढ़ में तहबाजारी के नाम पर गुण्डा टैक्स वसूलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	3
जनता पूर्णानन्द इण्टर कालेज मुनि की रेती टिहरी गढ़वाल की विज्ञान विषय की मान्यता देने के सम्बन्ध में नियम 301 अन्तर्गत सूचना ..	3–4
आगरा के दुर्गानगर मोहल्ले में जल भराव की समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	4
जनपद बदायूं की नगरपालिका उझयानी क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था ठीक कराने के सम्बध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	4
कार्मिक अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या–481/का–1–94–1–1–1994 दिनांक 29 मार्च, 1994––(सदन के पटल पर रखी गयी) ..	4–5
कार्मिक अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या–482/का–1–94–1–1–1994 दिनांक 29 मार्च, 1994 (सदन के पटल पर रखी गयी) । ..	5
वित्त विक्रीकर अनुभाग–2 की विज्ञप्ति संख्या वि0 क0–2–461/11–9 (527)–94–उ0 प्र0 अधि0–15–48-आदेश–94 दिनांक 16 फरवरी, 1994––(सदन के पटल पर रखी गयी) ..	5
वित्त विक्रीकर अनुभाग–2 की विज्ञप्ति संख्या वि क0–2–801/ग्यारह–9 (604)–93 उ0 प्र0 अधि0–15–48–आदेश 94 दिनांक 10 मार्च, 1994––(सदन के पटल पर रखी गयी)	5
वित्तीय वर्ष 1994–95 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या–3 उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)–(जारी) (स्वीकृत)	5–6
अनुदान संख्या–4 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) (स्वीकृत) ..	6–7
वित्तीय वर्ष 1994–95 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या–5 (उद्योग विभाग) (ग्राम एवं लघु उद्योग) (स्वीकृत)	7

विषय	पृष्ठ, संख्या
अनुदान संख्या--6 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) (स्वीकृत)	7–8
अनुदान संख्या–7 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) (स्वीकृत)	8
अनुदान संख्या–8 उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) (स्वीकृत)	8–9
अनुदान संख्या–76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) (स्वीकृत)	9
अनुदान संख्या–77 श्रम विभाग (सेवायोजन) (स्वीकृत)	9
अनुदान संख्या–85 सार्वजनिक उद्यम विभाग (स्वीकृत)	10
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा कथित रूप से जारी किये गये सामाजिक विद्वेषात्मक परिपत्र के वितरण के सम्बन्ध में नियम 51 की सूचना पर वक्तव्य	10
घन्डियाल देवता (घन्टाकरण) पट्टी लोक्तु टिहरी गढ़वाल के प्रांगण के समतलीकरण के कार्य में अनियमितता तथा सरकारी धन का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	11–12
जनपद मेरठ में मोलाँ की झाल ग्राम में जिले सिंह नामक युवक की जिन्दा जलाकर हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 की सूचना पर वक्तव्य	12–13
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षकों एवं कर्मचारियों के भविष्य निधि का धन उनके खातों में नियमित रूप से जमा किये जाने विषयक श्री नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा दी गयी सूचना पर नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा (चर्चा नहीं हुई)	13
प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत संवाददाताओं, पत्रकारों को शासन द्वारा सुविधा प्रदान करने तथा सूचना विभाग को सक्रिय एवं प्रभावकारी बनाने विषयक श्री रामसरन वर्मा, श्री बी० के० गुप्ता, श्री बी० एम० सिंह आदि द्वारा दी गयी सूचना पर नियम–49 के अन्तर्गत चर्चा--- (चर्चा नहीं हुई)	14

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, दिनांक 23 अप्रैल, 1994

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे –

अखलाख, श्री	मेरठ
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अनिल कुमार, श्री	सीतापुर
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ
अरविन्द कुमार, श्री	ललितपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अशोक वाजपेयी, श्री	हरदोई
आनन्द यादव, श्री	देवरिया
ओम प्रकाश, श्री	गोरखपुर
कोकब हमीद खां, श्री	मेरठ
गजराज सिंह, श्री	गाजियाबाद
गजाधर सिंह, श्री	रायबरेली
गोविन्द सिंह कुंजवाल, श्री	अल्मोड़ा
घनश्याम शुक्ल, श्री	गोण्डा
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्र विजय सिंह उर्फ बेबी राजा, श्री	मुरादाबाद
जगदम्बा, श्री	बस्ती
जगदीश मुनि, श्री	हरिद्वार
जगरनाथ चौधरी, श्री	जौनपुर
जयपाल सिंह, श्री	मेरठ
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया, श्री	गोरखपुर
तीरथ राज, श्री	सोनभद्र
तेजपाल सिंह, श्री	बिजनौर
त्रिपाल सिंह धामा, श्री	मेरठ
दया सिन्धु शंखधर, श्री	बदायूं
दीनानाथ भास्कर, श्री	वाराणसी
देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर
धर्मपाल यादव उर्फ डी0पी0 यादव, श्री	बुलन्दशहर
नन्द किशोर मिश्रा, श्री	देवरिया
नरेन्द्र सिंह, श्री	मेरठ
नरेश अग्रवाल, श्री	हरदोई
निरवेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री	खीरी
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
नीरज चतुर्वेदी, श्री	कानपुर नगर
परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
पीतम सिंह, श्री	एटा
प्रमोद तिवारी, श्री	प्रतापगढ़
बंशीधर, श्री	नैनीताल
बचनू राम पटेल, श्री	वाराणसी
बाबू राम यादव, श्री	मैनपुरी
बाल गोविन्द राजवंशी, श्री	सीतापुर
बालेश्वर यादव, श्री	देवरिया
बेचन राम, श्री	गोरखपुर
भगवत शरण गंगवार, श्री	बरेली
भागवत पाल, श्री	मिर्जापुर
मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
मनव्वर हसन, श्री	मुजफ्फरनगर
मनोहर लाल, श्री	उन्नाव
महिपाल सिंह यादव, श्री	बरेली
महेन्द्र अरिदमन सिंह राजा, श्री	आगरा
महेन्द्र पाल सिंह, श्री	बिजनौर
महेन्द्र सिंह माहरा, श्री (महू भाई)	पिथौरागढ़
माया शंकर पाठक, श्री	वाराणसी
मारकण्डेय सिंह, श्री	बलिया
मुलायम सिंह यादव, श्री	फिरोजाबाद
योगेन्द्र कुमार सागर, श्री	बदायूं
रघुराज प्रताप सिंह, कुंवर उर्फ राजा भइया, श्री	प्रतापगढ़
रणजीत सिंह जूदेव, श्री	झांसी
रमाकान्त यादव, श्री	आजमगढ़
रमापति शास्त्री, श्री	गोण्डा
रमेश पोखरियाल "निशंक", श्री	गढ़वाल
रमेश बहादुर, श्री	प्रतापगढ़
राकेश सोनकर, श्री	कानपुर नगर
राजबली जैसल, श्री	इलाहाबाद
राजवीर सिंह, श्री	अलीगढ़
राजीव कुमार, श्री	नैनीताल
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
रानी देवलता, श्रीमती	सहारनपुर
राम औतार मिश्रा, श्री	शाहजहांपुर
राम किशोर बिन्द, श्री	वाराणसी

राम कृष्ण वर्मा, श्री	मेरठ
राम तेज, श्री	बहराइच
राम देव वर्मा, श्री	फैजाबाद
राम धनी, श्री	गाजीपुर
राम प्रकाश, श्री	बस्ती
राम प्रसाद टम्टा, श्री	अल्मोड़ा
राम प्रसाद, श्री	बुलन्दशहर
राम लखन यादव, श्री	प्रतापगढ़
राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
विजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
विनय कुमार पाण्डेय उर्फ विन्नू, श्री	गोण्डा
वीरेन्द्र पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
वीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मुन्ना, श्री	शाहजहांपुर
वीरेश्वर सिंह उर्फ वीरेश यादव, श्री	अलीगढ़
शशिबाला पुण्डीर, श्रीमती	सहारनपुर
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव प्रताप शुक्ल, श्री	गोरखपुर
शिव बहादुर सक्सेना, श्री	रामपुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रीराम पाल, श्री	जालौन
श्रीराम यादव, श्री	जौनपुर
श्रीराम सिंह, श्री	गोण्डा
सतीश कुमार, श्री	बिजनौर
सन्त बक्श रावत, श्री	लखनऊ
सर्वराज सिंह, कुंवर	बरेली
सुखदेव, श्री	आजमगढ़
सुख देवी, श्रीमती	इटावा
सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री	बांदा
सुरेन्द्र सिंह नेगी श्री	गढ़वाल
स्वयंवर सिंह चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री	कानपुर देहात
ज्ञानी हरेन्द्र सिंह, श्री	रामपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, 23 अप्रैल, 1994

(विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री धनीराम वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

मा0 अध्यक्ष के विरुद्ध दिये गये अविश्वास के प्रस्ताव को उठाने का प्रयास

(सदन के प्रारम्भ होने पर)

(भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य खड़े होकर एक साथ यह कहने लगे कि "अध्यक्ष जी, वापस जाओ" (घोर व्यवधान के मध्य)

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

अध्यक्ष, महोदय कल आपने इस सदन में लोक तंत्र की [x x x] है, जनता के साथ [x x x] है । आपने इस कुर्सी के साथ [x x x] आप उस स्थान पर अब नहीं बैठ सकते हैं । आपके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव आ चुका है जब तक उसका निस्तारण नहीं हो जाता है तब तक आप कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं । आप कुर्सी के [x x x] रह गये हैं । इस पर बैठने का आपको कोई अधिकार नहीं है ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

अब बैठ जायें । आज दिनांक 23-4-94 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम-301 के अन्तर्गत कुल 8 सूचनायें प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गयीं । इसमें पहली सूचना श्री बची सिंह रावत की जनपद अल्मोड़ा की ईड़ा बारखाम, जमिनीवार-जामिनीपार, वजीमा इग्यारा पेयजल योजना के निर्माण कार्य ठप्प होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है । दूसरी सूचना श्री हरेन्द्र सिंह की जनपद मुजफ्फरनगर में जिला परिषद् द्वारा स्वीकृत अपूर्ण मार्गों को पूर्ण कराने के संबंध में है । तीसरी सूचना श्री बनवारी सिंह की बदायूं के विकास खण्ड बासपपुर की ग्राम सभा मानपुर तथा विकास खण्ड उसांवा की ग्राम सभा झुण्डी में विद्युतीकरण, कराने के संबंध में है । चौथी सूचना श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी की फर्रुखाबाद फतेहगढ़ में तहबाजारी के नाम पर गुण्डा टैक्स वसूलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । पांचवीं सूचना श्री मातबर सिंह कण्डारी की जनता पूर्णानन्द इण्टर कालेज, मुनि की रेती, टिहरी गढ़वाल को विज्ञान विषय की मान्यता देने के संबंध में है । छठी सूचना श्री सत्य प्रकाश विकल की आगरा के दुर्गानगर मुहल्ले में जल भराव की समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है । सातवीं सूचना श्री जोगेन्द्र सिंह जी की जनपद बदायूं की नगरपालिका बदवानी क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था ठीक कराने के

नोटः– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

सम्बन्ध में है । यह सातों सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं । शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुईं। समस्त सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं इस प्रकार हैं :-

जनपद अल्मोड़ा की ईड़ा बारखाम जामिनीवार जामिनापार बजीना इग्यारा पेयजल योजना में निर्माण कार्य ठप्प होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बची सिंह रावत-

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सदन के संज्ञान में लाने हेतु अविलम्बनीय लोक महत्व की निम्न सूचना प्रस्तुत कर रहा हूं :—

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत करीब 75.00 लाख रुपये की लागत से उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा ईड़ा बारखाम, जामिनीवार जामिनीपार, बजीना इग्यारा पेयजल योजना 1992 में स्वीकृत की गई थी । इस योजना से इस क्षेत्र की अनेक ग्राम सभाओं को पेयजल उपलब्ध होना था ।

उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा इस योजना पर कार्य प्रारम्भ किया गया, और करीब 2 कि0मी0 पाइप लाइन बिछाई गई । तदन्तर एक मामूली विवाद पर इस योजना का कार्य रोक दिया गया । करीब एक वर्ष पूर्व परगनाधिकारी रानीखेत द्वारा इस विवाद को हल कर लिया गया है ।

विवाद हल हो जाने पर भी उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा इस योजना पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है । इस क्षेत्र में पेयजल की एक बूंद भी उपलब्ध नहीं है, जिस कारण पूरे क्षेत्र में पेयजल के लिये त्राहि-त्राहि मची हुई है । सारा जनजीवन अस्त-व्यस्त व संकटमय हो गया है ।

मेरा विनम्र निवेदन है कि इस पेयजल योजना पर शीघ्र कार्य प्रारम्भ करने हेतु राज्य सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें ।]

जनपद मुजफ्फरनगर में जिला परिषद् द्वारा स्वीकृत अपूर्ण मार्गों को पूर्ण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)-

[मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से सदन एवं सरकार के संज्ञान में एक लोक महत्व प्रश्न को लाकर कार्यवाही की मांग करता हूं ।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में जिला परिषद् को राज्य स्तर से निम्न मार्गों के निर्माण की स्वीकृति पूरी लम्बाई में जारी हुई परन्तु धनराशि कम दी गई है । बाद में श्री राजनाथ जी द्वारा अपने शासन में आवश्यक धनराशि स्वीकृत कर दी गई परन्तु अवमुक्त होने से पूर्व चुनाव आयोग द्वारा रोक लगायी गई तब से ये मार्ग अपूर्ण हैं तथा राज्य स्तर से जिला परिषद् द्वारा प्रदेश में करोड़ों रुपये के कार्य स्वीकृत हो चुका है ये मार्ग हैं:- (1) सिलावर-धनैना मार्ग (2) भैंसवाल मार्ग (3) भैंसानी इस्लामपुर-पिलहेड़ा मार्ग (4) फतेहपुर बन्तीसेड़ा मार्ग (5) बघरा मार्ग (6) बजलालपुर मार्ग

आपके माध्यम से सरकार से उक्त कार्यों को तत्काल निर्मित कराने हेतु आवश्यक धनराशि अवमुक्त करने की मांग करता हूं ।]

नोट:- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद बदायूं के विकास खण्ड आसफपुर की ग्राम सभा मानपुर तथा विकास खण्ड उसावा की ग्राम सभा झुण्डी में विद्युतीकरण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बनवारी सिंह–

[महोदय, मैं आपका ध्यान जनपद बदायूं के विकास खण्ड आसफपुर के ग्राम सभा मानपुर की तरफ दिलाना चाहता हूं तथा ग्राम सभा झुण्डी विकास खण्ड उसावा, इन दोनों गांवों में जिला सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत हैं परन्तु अब तक विद्युतीकरण नहीं कराया गया । उक्त गांव हरिजन आबादी व पिछड़े दलित लोग रहते हैं । विद्युतीकरण न होने से काफी परेशानी का सामना किसानों दलितों को करना पड़ता है तथा स्थानीय जनता में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है ।

अतः मैं आदरणीय सदन के माध्यम से शासन व सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल विद्युतीकरण कराये जाने की मांग करता हूं ।]

फर्रुखाबाद फतेहगढ़ में तहबाजारी के नाम पर गुण्डा टैक्स वसूलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

[मान्यवर, नगर पालिका क्षेत्र फर्रुखाबाद फतेहगढ़ में इस समय कुख्यात माफिया हिस्ट्रीशीटर भोले भाले व्यापारियों, रिक्शा, तांगा और टैम्पों चालकों से मनमाने तौर पर गुण्डागर्दी के बल पर टैक्स वसूली कर रहे हैं । उनके डर व आतंक के कारण तहबाजारी का ठेका नीलाम नहीं किया जा रहा है और अधिकारी व कर्मचारी भी इन माफिया गुण्डों से मिली भगत बनाये हुये हैं । परिणाम यह हो रहा है कि नगरपालिका फर्रुखाबाद में जहां कम से कम पचास साठ हजार रुपये मासिक की आय होनी चाहिये वहां मात्र एक हजार रुपया प्रतिदिन ही मिल रहा है । जबकि इन माफिया गुण्डों द्वारा कम से कम ढाई तीन लाख रुपये प्रतिमाह की उगाही व्यापारियों, नागरिकों से की जा रही है । अफसोस इस बात का है कि तहबाजारी के नाम पर थ्रीव्हीलर, रिक्शा व तांगा वाले और अन्य सवारियों से भी मारपीट कर अवैध वसूली की जा रही है और पुलिस का मुंह भी खिला-पिला कर बन्द किया जा रहा है ।

आम जनता में भारी रोष व्याप्त है ।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुये अविलम्ब तह-बाजारी ठेके की नीलामी की मांग करता हूं ।]

जनता पूर्णानन्द इण्टर कालेज मुनिकीरेती टिहरी गढ़वाल को विज्ञान विषय की मान्यता देने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मातबर सिंह कन्डारी–

[महोदय, जनपद टिहरी गढ़वाल के पूर्णानन्द इण्टर कालेज, मुनिकीरेती में विद्यालय भवन एवं विज्ञान प्रयोगशाला तथा प्रशिक्षित अध्यापक पर्याप्त मात्रा में हैं । इस कालेज में विज्ञान विषय की मान्यता हेतु क्षेत्रीय जनता वर्षों से मांग करती आ रही है । किन्तु यह मांग लम्बे समय के बीत जाने पर भी स्वीकार नहीं की गयी है । छात्र एवं छात्राओं के विज्ञान विषय पढ़ने की कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है ।

नोट :–[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि कृपया पूर्णानन्द इण्टर कालेज मुनि की रेती टिहरी गढ़वाल को विज्ञान विषय की मान्यता दिलवाने की कृपा की जाए ।]

आगरा के दुर्गानगर मोहल्ले में जल भराव की समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश विकल–

[महोदय, आगरा के हरी पर्वत वार्ड के नगलापदी क्षेत्र में दुर्गानगर मोहल्ले में भारी मात्रा में हो गये जल भराव के कारण उसके चारों ओर बसे सैकड़ों मकान व हजारों निवासी उसके बीच घिरे हुए हैं । भारी तालाब जैसा बन गए और इसके पानी में भीषण दुर्गन्ध युक्त व मलमूत्र भरा होने के कारण तेज बदबू फैला रही है व मच्छरों के भारी प्रकोप से बीमारी फैल रही है । बार-बार कहे जाने पर भी नगर महापालिका आगरा समस्या के समाधान के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठा पा रही है जिसके कारण वहां के निवासी घोर यातनाओं के बीच नारकीय स्थिति में अपने दिन काट रहे हैं । उन्हें अपने घरों तक पहुंचने के लिये घुटनों से ऊपर तक भरे गन्दे पानी में होकर रोजाना आना जाना पड़ता है । बच्चों और महिलाओं को तो और भी अधिक कष्ट तथा अशोभनीय स्थिति में जीना पड़ रहा है । महापालिका द्वारा जल निकासी की कोई व्यवस्था न करने से जनता में भारी क्षोभ, आक्रोश व असन्तोष व्याप्त है ।

अतएव अविलम्बनीय लोक महत्व के इस सुनिश्चित विषय को शासन के संज्ञान में लाकर मैं तत्काल प्रभावी कार्यवाही किए जाने की मांग करता हूं ।]

जनपद बदायूं उझानी क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था ठीक कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जोगेन्द्र सिंह–

[महोदय, मैं आपका ध्यान जनपद बदायूं की नगरपालिका उझानी की विद्युत व्यवस्था के संबंध में ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि वहां पर स्थित कोल्ड स्टोरेज बन्द हो गये हैं तथा किसानों के आलू भण्डारण में कठिनाई है । और वहां के निवासीगणों को विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है ।

अतः मैं आदरणीय सदन के माध्यम से शासन व सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल विद्युत व्यवस्था ठीक कराये जाने की मांग करता हूं ।]

कार्मिक अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-481/का-1-94-1-1-1994 दिनांक 29 मार्च, 1994†

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 3 की उप धारा (5) के अधीन जारी की गयी कार्मिक अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-481/का-1-94-1-1-

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

1994, दिनांक 29 मार्च, 1994 को विलम्ब के कारणों सहित उक्त अधिनियम की धारा 14 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ ।

कार्मिक अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या–482/का-1-94-1-1-1994 दिनांक 29 मार्च, 19949†

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, अधिनियम, 1994 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी कार्मिक अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-482/का-1-94-1-1-1994, दिनांक 29 मार्च, 1994 को विलम्ब के कारणों सहित उक्त अधिनियम की धारा 14 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ ।

वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या वि0क0-2-461/11-9(527)-94-उ0प्र0 अधि0-15-48, आदेश-94, दिनांक 16 फरवरी, 1994†

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की दिनांक 18 फरवरी, 1994 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या–वि0क0-2-461/11-9(527)-उ0प्र0 अधि0-15-48-आदेश-94, दिनांक 16 फरवरी, 1994 को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश बिक्री-कर एक्ट, 1948 की धारा 3–क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ ।

वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या वि0क0-2-801/ग्यारह-9(604)-93-उ0 प्र0 अधि0 15-48-आदेश 94, दिनांक 10 मार्च, 1994†

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की दिनांक 11 मार्च, 1994 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या-वि0क0-2-801/ग्यारह-9(604)-93-उ0प्र0 अधि0-15-48-आदेश 94, दिनांक 10 मार्च, 1994 को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश बिक्री-कर एक्ट, 1948 की धारा 3-क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ । (व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर मतदान

अनुदान संख्या 3–उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 3–उद्योग विभाग (निर्यात

†छापी नहीं गयी ।

प्रोत्साहन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 32,83,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(कटौती के लिए नाम पुकारे जाने एवं किसी के न रखने पर)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 3–उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 32,83,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 4–उद्योग विभाग (खानें और खनिज)

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 4–उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 3,59,86,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(कटौती के लिये नाम पुकारे जाने एवं किसी के द्वारा न रखने पर)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 4–उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 3,59,86,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(इस समय 11 बजकर 7 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 1 घन्टे के लिए स्थगित कर दी । 12 बजकर 7 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 1 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है । 1 बजे मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजे तक के लिए और बढ़ा दिया है । 2 बजे मार्शल ने सूचित किया कि मा0 अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजकर 30 मिनट तक के लिए और बढ़ा दिया है । 2 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

मान्यवर, आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है (व्यवधान) आपने लोकतंत्र और संविधान की [xxx] है (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने कोई लोकतंत्र की हत्या नहीं की है,

(कई सदस्य दोनों ओर से खड़े होकर नारे लगाने लगे)

वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमागत)

अनुदान संख्या 5–उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 5–उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 25,11,03,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

(किसी के द्वारा कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत न करने पर)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 5–उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा धनराशि के अतिरिक्त, 25,11,03,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 6–उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवम् श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 6–उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 25,66,51,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखें ।

(किसी के द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखने पर)

नोट:–[xxx] यह अंश माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 6–उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 25,66,51,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 7–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 7–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 68,13,79,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखें ।

(किसी के कटौती का प्रस्ताव न रखने पर)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 7–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 68,13,79,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 8–उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवम् श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 8–उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 25,03,15,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखें ।

(किसी सदस्य के द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखने पर)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 8–उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 25,03,15,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या 76—श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 76—श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 26,20,54,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(माननीय अध्यक्ष द्वारा कटौती के प्रस्तावक का नाम पुकारे जाने एवं उनके द्वारा कटौती का प्रस्ताव न प्रस्तुत करने पर)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 76—श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 26,20,54,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 77—श्रम विभाग (सेवायोजन)

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मो0 आजम खां)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 77—श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 38,60,32,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष—

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं ?

(किसी सदस्य के कटौती का प्रस्ताव न प्रस्तुत करने पर)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 77—श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 38,60,32,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 85—सार्वजनिक उद्यम विभाग

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 85—सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 42,53,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष—

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं ?

(किसी माननीय सदस्य के कटौती का प्रस्ताव न प्रस्तुत करने पर)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 85—सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 42,53,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(व्यवधान के मध्य)

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा कथित रूप से जारी किए गए सामाजिक विद्वेषात्मक परिपत्र के वितरण के संबंध में नियम 51 की सूचना पर वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

मुख्य मंत्री जी वक्तव्य पढ़ें ।

(श्री मो0 आजम खां के वक्तव्य पढ़ने के लिए खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया गया)

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)—

[राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के किसी परिपत्र का वितरण किया जाना प्रकाश में नहीं आया है । तथापि इस आशय का एक पर्चा अवश्य प्राप्त हुआ है । परन्तु यह पर्चा कहां से एवं किसके द्वारा प्रकाशित कराया गया है, इसका कोई उल्लेख पर्चे पर नहीं है । पर्चे के प्रकाशन एवं वितरण से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की सम्बद्धता की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है ।]

(व्यवधान के मध्य)

नोट :—[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

घन्डियाल देवता (घन्टाकरण) पट्टी लोसा टिहरी गढ़वाल के प्रांगण के समतलीकरण के कार्य में अनियमितता तथा सरकारी धन का दुरुपयोग किए जाने के संबंध में नियम–51 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

मुख्य मंत्री जी वक्तव्य पढ़ें ।

(श्री मो0 आजम खां के वक्तव्य पढ़ने के लिए खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया गया ।)

श्री मोहम्मद आजम खां (सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री)–

[विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के 2रे बुधवार हेतु निर्धारित श्री मातबर सिंह कण्डारी द्वारा घन्टाकरण देवता के प्रांगण के समतलीकरण के संबंध में अतारांकित प्रश्न संख्या–1 पूछा गया था जिसका उत्तर निम्नवत् दिया गया था :–

प्रश्न	उत्तर
क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड कीर्तिनगर की पट्टी लोसा, जनपद टिहरी गढ़वाल में घन्टाकरण देवता (घन्डियाल देवता) के प्रांगण के निर्माण हेतु जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल के अनटाइड फण्ड (अवमुक्त कोष) से कितनी धनराशि दी थी ?	घन्डियाल देवता के प्रांगण के निर्माण/समतलीकरण हेतु वर्ष 1992-93 में जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल द्वारा रु0 40,000.00 की धनराशि अनटाइड फण्ड (मुक्त कोष) से स्वीकृत की गई थी ।
क्या इस धनराशि का सही प्रयोग हुआ ?	जी हां ।
क्या प्रांगण का निर्माण किया गया ?	जी हां ।
यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जिला प्रशासन ने इस कार्य की जांच की ? यदि हां, तो जांच में क्या पाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?	प्रश्न नहीं उठता ।

मुलायम सिंह यादव,

मुख्य मंत्री ।

नोट:– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जिला योजना की एकमुश्त व्यवस्था की मद (अनटाइड फण्ड) से वर्ष 1992-93 में घन्डियाल देवता के प्रांगण के निर्माण हेतु जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल द्वारा रु0 40,000.00 स्वीकृत किया गया था । प्रांगण के समतलीकरण का कार्य खण्ड विकास अधिकारी, कीर्तिनगर के द्वारा ग्राम प्रधान कवीली के माध्यम से करवाया गया । यह कार्य माह फरवरी, 1993 में पूर्ण किया गया । नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्रति हस्ताक्षर एवं तकनीकी मूल्यांकन करवाकर ग्राम सभा प्रधान को धनराशि का भुगतान किया गया ।खण्ड विकास अधिकारी कीर्तिनगर द्वारा कार्य का सही होना अवगत कराये जाने एवं जनता के द्वारा किसी भी प्रकार की शिकायत न होने पर जिला प्रशासन द्वारा कार्य की जांच नहीं कराई गई ।

मा0 सदस्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में प्रांगण के समतलीकरण का कार्य न होने की सूचना दी गई है और मामले की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने का अनुरोध किया गया । मा0 सदस्य ने 2-3-94 को नियम 300 के अन्तर्गत भी इस मामले को उठाया है ।

मा0 सदस्य द्वारा संज्ञान में लाए गए तथ्यों के आधार पर मामले की छानबीन जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल से कराई जा रही है । छानबीन के उपरान्त यदि कोई कर्मचारी/अधिकारी मामले में दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी ।]

(व्यवधान के मध्य)

जनपद मेरठ में भोला की झाल ग्राम में जिले सिंह नामक युवक की जिन्दा जलाकर हत्या किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम-51 की सूचना पर वक्तव्य

श्री अध्यक्ष–

मुख्य मंत्री जी वक्तव्य पढ़ें ।

(श्री मो0 आजम खां के वक्तव्य पढ़ने के लिए खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया गया)

श्री मोहम्मद आजम खां (सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री)–

[दिनांक 8-3-94 को रात्रि लगभग 11.50 बजे श्री अशोक कुमार निवासी ग्राम भोला थाना जानी जनपद मेरठ द्वारा थाना जानी पर सूचना दी गई कि उसका छोटा भाई जिले सिंह तथा उसकी पत्नी श्रीमती सुरेश अपने खेतों से बरसीम लेने गये हुए थे तथा जब घर लौट रहे थे, तो भोला झाल से आगे करीब 6.00 बजे उसके भाई जिले सिंह ने अपनी पत्नी से कहा कि वह घर चले तथा वह शौच करके घर पहुंचेगा । काफी समय तक घर न लौटने पर जब श्री अशोक कुमार कुछ ग्रामवासियों सहित अपने

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

भाई जिले सिंह को ढूंढते हुए नहर पर पहुंचा तो उन्होंने पटरी पर जिले सिंह की साइकिल खड़ी देखी जिसके पास और कोई नहीं था । इस पर आस-पास जिले सिंह की खोज शुरू की गयी तो पता चला कि शशिभूषण शर्मा, पुत्र ननतोड़ा (ग्राम प्रधान), नानकचन्द पुत्र सुन्दर, नरेन्द्र पुत्र डालचन्द, महेश पुत्र रामजी लाल नहर के किनारे खड़ी घास पतेल में आग लगाकर भागे थे । निकट जाने पर वहीं जिले सिंह जली हुई हालत में मिला तथा उसे उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया ।

उक्त सूचना के आधार पर थाना जानी पर मु0अप0सं0–56/94 धारा 307 भा0दं0वि0 तथा 3(2)/5 अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया । इस घटना में बाद में अस्पताल में जिले सिंह की मृत्यु हो जाने पर अभियोग धारा 302 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत तरमीम किया गया । उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद शशिभूषण शर्मा, नानकचन्द तथा महेश को दिनांक 9-3-94 को तथा नरेन्द्र को दिनांक 11-3-94 को गिरफ्तार किया गया । मृतक की विधवा को रु0 10,000 की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है ।

ग्राम में सुरक्षा की दृष्टि से पी0 ए0 सी0 तैनात कर दी गयी है । अब तक प्राप्त जानकारी एवं मृतक के पिता श्री कुशला के कथनानुसार प्रमुख अभियुक्त शशिभूषण शर्मा ग्राम प्रधान इस परिवार से इसलिए रंजिश मानता था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि ग्राम प्रधान के चुनाव में कुशला चुनाव लड़े । इसके अतिरिक्त ग्राम के एक अन्य अनुसूचित जाति के व्यक्ति गुरुदयाल के साथ जमीन संबंधी विवाद भी इस परिवार के साथ चल रहा था तथा ग्राम प्रधान शशिभूषण शर्मा द्वारा इस विवाद में गुरुदयाल का समर्थन किया जा रहा था । जिले सिंह की हत्या से पूर्व उसके परिवार को धमकी दी जाने की कोई सूचना प्रकाश में नहीं आयी है, घटना से पूर्व जमीन संबंधित झगड़े व प्रधान के चुनाव से संबंधित रंजिश की कोई सूचना मृतक के परिवार या अन्य व्यक्ति द्वारा अंकित कराना नहीं पाया गया ।

उक्त घटना के उपरान्त अभियुक्तगण के विरुद्ध तत्परता से पुलिस कार्यवाही पूर्ण की गई तथा क्षेत्र में तनाव व उत्तेजना जैसी स्थिति नहीं है । ग्राम में सुरक्षा की दृष्टि से पी0 ए0 सी0 तैनात कर दी गयी है ।]

(घोर-व्यवधान के मध्य)

इलाहाबाद विश्व विद्यालय में शिक्षकों एवं कर्मचारियों के भविष्य निधि का धन उनके खातों में नियमित रूप से जमा किये जाने विषयक श्री नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा दी गयी सूचना पर नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री अध्यक्ष–

अब माननीय डाक्टर नरेन्द्र सिंह गौर इलाहाबाद विश्वविद्यालय विषयक अपनी चर्चा प्रारम्भ करें ।

(डाक्टर नरेन्द्र सिंह गौर खड़े नहीं हुए ।)

नोट :–[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत संवाददाताओं, पत्रकारों को शासन द्वारा सुविधा प्रदान करने तथा सूचना विभाग को सक्रिय एवं प्रभावकारी बनाने विषयक श्री राम सरन वर्मा, श्री बी0 के0 गुप्ता, श्री बी0 एम0 सिंह आदि द्वारा दी गयी सूचना पर नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री अध्यक्ष--

सर्वश्री राम सरन वर्मा, बी0 के0 गुप्ता, बी0 एम0 सिंह, रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा शिव प्रताप शुक्ल आदि कोई ग्रामीण पत्रकारों के बारे में चर्चा प्रारम्भ करें ।

(किसी सदस्य के न खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

अब आज का एजेण्डा समाप्त हुआ और अब हम दिनांक 25 अप्रैल, 1994 को 11 बजे तक के लिए उठते हैं । फिर मिलेंगे ।

इसके बाद सदन 2 बजकर 40 मिनट पर सोमवार 25 अप्रैल, 1994 के दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।

लखनऊ :
23 अप्रैल, 1994

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0 एल0 94 वि0 सभा (144) 1994-813 जी0टी0पी0 ।